न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 73/2023
जीसीएमएस नं. :— 2023/109

प्रार्थीगण :—
1. चीमनाराम पुत्र आसूराम
2. बाबुराम पुत्र आसूराम
3. मदाराम उर्फ मदनलाल पुत्र आसूराम (फौत)
3/1 फेफीदेवी पत्नि मदनलाल
3/2 श्रवणराम पुत्र मदनलाल
3/3 गुड्डी पुत्री मदनलाल
सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

दर्ज दिनांक 12.05.2023

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अशोक कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश" दिनांक : 25.08.2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 475 रकबा 1.1083 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम के खाता सं. 507 व पुराना 387 के अनुसार दर्ज हैं तथा ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.8203 हैक्टयर किस्म बारानी ए के खाता सं. नया 512 व पुराना 388 के अनुसार दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 475 में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पिता आसूराम व प्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/3 के पिता मदाराम उर्फ मदनलाल व खसरा संख्या 1951 में प्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/3 के पिता मदाराम उर्फ मदनलाल के देहान्त पश्चात उक्त भूमि बहेसियत वारिसान प्रार्थीगण के साथ साथ प्रार्थीगण के भाईयों के नाम भी दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पिताजी का नाम शोभाराम के नाम से नामांतरण के रूप में दर्ज किया गया जबकी प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिताजी का वास्तविक व सम्पूर्ण दस्तावेजी के नाम आसूराम हैं। तथा प्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/3 के पिताजी का नाम मदाराम नामांतरण के रूप में दर्ज किया गया जबकी प्रार्थीगण के पिताजी का वास्तविक व सम्पूर्ण दस्तावेजी के नाम मदनलाल हैं। उपरोक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम भूलवंश अथवा पेन मिस्टेक के कारण तत्कालिन आवेदनकर्ता ने अपने भाईका नाम स्वयं के पिताजी के नाम की जगह वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे चल रही जमाबंदी मे नाम शोभाराम से दर्ज हो गया जबकि हमारे पिताजी के वास्तविक दस्तावेजी मे नाम राजस्व रेकर्ड मे आसूराम दर्ज नहीं हो सका जबकि हमारे पिताजी के नाम आसुराम जी जगह हमारे भाई शोभाराम का नाम दर्ज हो गया जो मानवीय भूलवंस की त्रुटिवंस है। प्रार्थी संख्या 3/1 व 3/3 के पिताजी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

का नाम मदनलाल बताने से प्रार्थीगण के पिताजी का नाम का वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो जबकी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के पिताजी का नाम मदाराम के नाम से दर्ज हो गया जो सही नहीं है जबकी प्रार्थीगण का नाम राशनकार्ड, पहचान–पत्र व आधार कार्ड में पिताजी का नाम मदनलाल के नाम से दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगणको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं तथा हर जगह दो नाम के एक ही व्यक्ति साबित करने हेतु कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की परेशानियों को देखते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण संख्या 01 से 02 के पिताजी का नाम आसूराम व प्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/3 पिताजी का नाम मदनलाल दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण के पिताजी अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि प्रार्थीगण के पिताजी नाम की जगह भाई के नाम शोभाराम दर्ज है प्रार्थीगण के पिताजी अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि प्रार्थीगण के पिताजी नाम मदाराम दर्ज हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त परेशानी से निजात पाने के लिए उक्त नाम को रेकर्ड शुद्धी करवानी आवश्यक हैं ताकि प्रार्थीगण को बार–बार अपने नाम को लेकर होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार से जवाब तलब कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पिताजी का नाम शोभाराम की जगह राजस्व रेकर्ड मे आसूराम व प्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/3 के पिताजी का नाम मदाराम की जगह राजस्व रेकर्ड मे मदनलाल के नाम शुद्धी किये जाने के सादर आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया हैं कि ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 475 में चिमनाराम, बाबुराम के पिता का नाम शोभाराम के स्थान पर आसुराम एवं मदाराम के स्थान मदनलाल एवं साथीन चक द्वितीय के खसरानम्बर 1951 में मदाराम के स्थान पर मदनलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 475 में चिमनाराम, बाबुराम के पिता का नाम शोभाराम के स्थान पर आसुराम एवं मदाराम के स्थान मदनलाल एवं साथीन चक द्वितीय के खसरानम्बर 1951 में मदाराम के स्थान पर मदनलाल दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर